

प्रभुसदन देवगम खं धर 2
 बराम
 सुनि लोहार खं धर 2

Schedule XIII High Court No. (I) 01 (M) 199
FORM OF ORDER SHEET

Court of the sub-Divisional Magistrate,
 Sadar Chaibasa

Misc. Case No. 03/2017
 U/S 107/113/116 (III) Cr.P.C.

Date of Order	Order with the Signature of the Court	Office action
<u>03.01.2017</u>	<p>Perused the Police report a S.I of Police <u>मुफ्तखिल धारा</u>.....Police Station/petition of the petitions/S.D.O/C.O <u>मुफ्तखिल धारा</u>..... <u>अप्रत्यक्षी सं - 08/16</u>..... for taking action U/s 107/113/116 (III) Cr. P.C. against the member of the <u>Bath</u>..... Parties whereas on perusal of the Police report, I feel satisfaction that there exists serious apprehension of breach of the peace at the instant of the member of <u>Bath</u>.....party due to <u>जमीन विवाद को लोहार</u>.....</p> <p>and that prevention of which urgently required, I in exercise of my power u/s 107 Cr.P.C. do hereby call upon the member of <u>Bath</u>.....parties to apper before me an <u>25.01.2017</u>.....and like their show cause and to why should not be ordered to execute bound of 5,000/- with securities of the like amount each to keep peace for a period of one year.</p>	<p><u>12/6270</u> <u>03-01-2017</u></p> <p><u>03/01/17</u> Subdivisional magistrate Sadar chaibasa</p>

25.01.17

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिस का तामिला प्राप्त हुआ है। प्रथम पक्ष के तीन सदस्य ① प्रभुसहाय देवगाम ② जोसेफ देवगाम ③ इलियाज देवगाम वकालतनामा के साथ उपस्थित है। द्वितीय पक्ष के सभी तीन सदस्य ① प्रमिल लोहार ② प्रमिल लोहार ③ सुमिता देव लोहार वकालतनामा के साथ उपस्थित है। उभय पक्ष की धोर से S/C दायित्व करते हैं। समग्र की मांग की गई है। पीछासीत पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिलेख दिनांक 15.02.17 को रखा।

अनु० ६०५८

15.02.17

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष के सदस्य उपस्थित हैं एवं उनके द्वारा S/C दायित्व करते हैं। समग्र की मांग की गई है।

S/C दायित्व करने हेतु समग्र की मांग की जा चुकी है। नोटिस जारी किया गया है कि पंद्रह दिनों के अंदर S/C दायित्व में। किंगडी- लिमिटेड दिनांक 08.03.17 को गवाहीत की जाती है।

प्रबन्धक

08.03.17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित है। द्वितीय पक्ष के सभी सदस्यों के द्वारा S/C दायित्व किया गया है। प्रथम पक्ष अनुपस्थित है। पीछासीत पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिलेख दिनांक 24.03.17 को रखा।


s/c filed by 2nd party

अनु० २०५८

24.03.17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के अनुपस्थित सदस्यों की धोर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन पेश किया गया है।
द्वितीय पक्ष के दो सदस्य उपस्थित हैं एवं अनुपस्थित सदस्य की धोर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन भी गइ है।
पत्र में द्वितीय पक्ष के पास एक सदस्य अनुपस्थित है।

प्रथम पक्ष को सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि वे स्वयं या अपने कर्मियों के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, अन्यथा न्यायालय कठपंजीय आदेश जारी करने का फैसला होगा।
आगामी तिथि दिनांक 21.04.17 को मजिस्ट्रेट की आती है।


अबडाल

21.04.17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के द्वारा S/C दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के सभी सदस्य उपस्थित हैं। पीठासीन प्रदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है।
अभिलेख दिनांक 12.05.17 को रहे।


sic filed by 1st party

अनुपदोस्त

12.05.17

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के दो सदस्य उपस्थित हैं। प्रथम पक्ष के धोर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन भी गइ है।

आगामी तिथि दिनांक 06.06.17 को मजिस्ट्रेट की आती है।


अबडाल

06.06.17 अगिलेच उपस्थापित। प्रथम पक्ष के द्वारा हाजिरी रखा
किया गया है। द्वितीय पक्ष के एक सदस्य उपस्थित
हैं एवं अनुपस्थित सदस्य की ओर से प्रतिनिधित्व है
आवेदन की गई है। पीठासीन पदाधिकारी अन्य काम
में व्यस्त है।
अगिलेच दिनांक 23.06.17 को रहे।

23.06.17 अगिलेच उपस्थापित। प्रथम पक्ष के अनुपस्थित
है। द्वितीय पक्ष के एक सदस्य उपस्थित
पीठासीन पदाधिकारी द्वारा कार्य में व्यस्त है।
अगिलेच दिनांक 25.07.17 को रहे।

25.07.17 अगिलेच उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के अनुपस्थित
हैं एवं अनुपस्थित सदस्य की ओर से प्रतिनिधित्व है।
आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अगिलेच दिनांक 11.08.17 को रहे।

11.08.17 अगिलेच उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के अनुपस्थित
हैं एवं दो अनुपस्थित सदस्य की ओर से प्रतिनिधित्व
है। आवेदन की गई है। प्रथम पक्ष अनुपस्थित है।
बाद में प्रथम पक्ष के एक सदस्य उपस्थित है।
अगिलेच दिनांक 08.09.17 को रहे।

08.09.17 अगिलेच उपस्थापित। प्रथम पक्ष के अनुपस्थित
द्वितीय पक्ष के एक सदस्य उपस्थित है।
को ओर से प्रतिनिधित्व है। आवेदन की गई है।
अनुपस्थित सदस्य

13.10.17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से प्रतिनिधित्व
है आवेदन की गई है। द्वितीय पक्ष के दो सदस्य उपस्थित
हैं एवं अनुपस्थित सदस्य की ओर से प्रतिनिधित्व है
आवेदन की गई है। पीठासीन पदाधिकारी अग्र क्रम में ग्रहण
अभिलेख दिनांक 20.10.17 को रहे।

अनुपस्थित

20.10.17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित है। द्वितीय
पक्ष के एक सदस्य उपस्थित हैं एवं दो अनुपस्थित
सदस्य की ओर से प्रतिनिधित्व है आवेदन की गई है।

Period overdue. To be dropped.

20/10/17